संख्या–529 / 79–6–2015

प्रेषक,

एच0एल0 गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 26 जून 2015

विषय–कक्षा–1 से 8 तक परीक्षा / मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–डी0ई0 / उ0नि0प्रा0 / 2155 / 2015–16 दिनांक 29.04.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कक्षा–1 से 8 तक के छात्र / छात्राओं एवं शिक्षकों में पठन–पाठन एवं मूल्यांकन के प्रति गम्भीरता के दृष्टिगत परीक्षा / मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2–उल्लेखनीय है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के प्रख्यापन के उपरान्त 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्र / छात्राओं को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक कोई बोर्ड परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप छात्र / छात्राओं में पठन–पाठन के प्रति एवं शिक्षकों में मूल्यांकन के प्रति उत्पन्न हो रही शिथिलता एवं शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन के दृष्टिगत प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन की व्यवस्था निम्नानुसार होगीः–

<u>परीक्षा का पैटर्न</u>

1- कक्षा 1–8 तक छात्र–छात्राओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षा व्यवस्था लागू होगी जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जायेगा। इसके अंतर्गत दो सत्रीय परीक्षायें क्रमशः अगस्त और दिसम्बर में तथा अर्द्ध वार्षिक परीक्षा अक्टूबर में और वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जायेंगी। इस प्रकार शैक्षिक सत्र में कुल चार बार छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन किया जायेगा।

2- इन परीक्षाओं में लिखित परीक्षाओं के साथ विषयवार मौखिक परीक्षा को भी स्थान दिया जायेगा। कक्षा–1 में केवल मौखिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 2–3 में लिखित और मौखिक परीक्षा का अधिभार 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत रखा जायेगा। कक्षा 4 से 5 तक लिखित और मौखिक परीक्षा का अधिभार क्रमशः 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत रखा जायेगा। कक्षा 6–8 में लिखित परीक्षायें होंगी, मौखिक परीक्षा नहीं होगी।

3- कक्षा 1–5 एवम् कक्षा 6–8 की सभी परीक्षायें गृह परीक्षा के रूप में प्रत्येक विद्यालय में आयोजित की जायेगी तथा विद्यार्थी अपने विद्यालय पर ही परीक्षा में शामिल होंगे। अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं की लिखित परीक्षा हेतु मुद्रित प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं छात्र–छात्राओं को निःशुल्क दिये जायेंगे। सत्रीय परीक्षाओं हेतु अध्यापक द्वारा ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न लिखे जायेंगे तथा छात्र–छात्रा अपनी कांपी में उत्तर लिखकर अध्यापक को उपलब्ध करायेंगे।

4- आदर्श प्रश्नपत्र– विद्यालयों में बच्चों के मूल्यांकन की वैधता और एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1–5 तथा कक्षा 6–8 हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0 के माध्यम से 25–25 आदर्श प्रश्नपत्र प्रत्येक विषय हेतु तैयार कराकर एवं उन्हें मुद्रित कराकर पुस्तिका के रूप में प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 3–3 प्रतियाँ उपलब्ध कराया जाये जिससे छात्रों का मूल्यांकन समुचित ढंग से हो सके और आदर्श प्रश्नपत्र को आधार मानकर ही गृह परीक्षा सम्पादित करायी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की जिम्मेदारी होगी।

5- प्रश्नपत्रों का निर्माण–अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र का निर्माण जिला स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों की समिति द्वारा कराया जायेगा :–

1–प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

3– जिला समन्वयक गुणवत्ता, सर्व शिक्षा अभियान

6- माह अगस्त और माह दिसम्बर में आयोजित सत्रीय परीक्षाओं में केवल उस विशेष कालावधि क्रमशः अप्रैल–मई–जुलाई और नवम्बर–दिसम्बर में पढ़ायी गयी विषयवस्तु पर ही प्रश्नपत्र आधारित होंगे। अद्धवार्षिक परीक्षा में अप्रैल से दिसम्बर तक तथा वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष में पढ़ाई गयी विषयवस्तु पर प्रश्न निर्मित किये जायेंगे। विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग के कौशल के बारे में होना चाहिए। इसके लिए यथास्थित लिखित, मौखिक, कियात्मक/कौशलात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जायेगा। इनमें बहुविकल्पीय, अति लघुउत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्रयोग में लाये जायेंगे।

7- प्रश्नपत्रों का मुद्रण–छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर प्रश्न पत्रों का मुद्रण निम्नलिखित समिति द्वारा कराया जायेगा:–

1– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

2– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा

3– वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी

8- छात्र–छात्राओं को अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी । इस हेतु धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति को हस्तान्तरित की जायेगी।

<u>मूल्यांकन</u>

9- कक्षा–5 तथा कक्षा–8 की वार्षिक परीक्षा को छोड़कर अन्य शेष कक्षाओं की सत्र परीक्षाओं, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ही किया जायेगा।

10- कक्षा–5 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर कराया जायेगा और इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न्याय पंचायत के अन्तर्गत स्थित दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा।

11- कक्षा–8 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ब्लाक संसाधन केन्द्र पर कराया जायेगा और इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ब्लाक के अन्तर्गत स्थित दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा।

12- प्रत्येक सत्र परीक्षा विषयवार 10–10 अंक की होगी। इस प्रकार दो सत्र परीक्षाएं प्रत्येक विषय में 20 अंक की होगी। अर्द्धवार्षिक परीक्षा प्रत्येक विषय की 30 अंकों की होगी तथा वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। दोनों सत्र परीक्षाओं में प्राप्त अंकों तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंक को मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय का एक शैक्षिक सत्र में 100 अंकों में मूल्यांकन किया जायेगा।

13- विद्यालय द्वारा सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षाफल घोषित होने से तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। प्रत्येक कक्षा के वार्षिक परीक्षा संबंधी टुबुलेशन रजिस्टर स्थायी अभिलेख के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

14- परीक्षा हेतु समय–सारिणी–प्रत्येक सत्रीय परीक्षा, अद्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा हेतु समय सारिणी बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 द्वारा जारी की जायेगी और तदनुसार प्रत्येक विद्यालय में परीक्षा व्यवस्था संचालित करने की जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी।

15- परीक्षाफल घोषित करना एवं अंकपत्र वितरित करना–

(क) विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन कराने के उपरान्त प्रत्येक कक्षा का विषयवार अंक अंकित कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा और सभी विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी। परीक्षाफल के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को रिजल्ट कार्ड दिया जायेगा जिसका व्यय सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) वार्षिक परीक्षाफल घोषित करने के दिवस को विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की जायेगी। छात्र–छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र एवं अभिभावक को दिखाया जायेगा तथा उसी समय रिजल्ट कार्ड भी छात्र–छात्राओं को दिया जायेगा।

16- कक्षा–1 से कक्षा–8 तक किसी भी छात्र की कक्षोन्नति रोकी नहीं जायेगी।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
5– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
6– शिक्षा अनुभाग–5।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमृता सोनी)
विशेष सचिव।